



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार 18 जनवरी, 1971
पाँच 28, 1892 शक, सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका विभाग

संख्या 6162(1)/17--255-70
लखनऊ, 18 जनवरी, 1971

विज्ञापित
विधि

भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 15 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञापित द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 में, अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

(2) इस का प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899, जिसे 1899 का ऐक्ट अपने मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्— 2 की धारा 11 का संशोधन

“(सी) एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 22 के अधीन उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र;”

3—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,

(1) अनुच्छेद 17 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिए जाय, अर्थात्—

“17-ए—एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 22 के अधीन उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र। दो सौ पचास रुपये

पांच सौ रुपये

17-बी—नोटरीज ऐक्ट, 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र, या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन।”

(2) अनुच्छेद 30 निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
14, 1970
के अध्याय 7
का निरसन

4—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 के अध्याय 7 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 6162(1)/XVII—255-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 15, 1971.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1970
(UTTAR PRADESH ACT NO. 10 OF 1971)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 11 of Act II of 1899.

2. In section 11 of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (c) the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) Certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961, issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh ;”

Amendment of Schedule I-B.

3. In Schedule I-B to the principal Act,

(i) after Article 17, the following Articles shall be inserted, namely:—

Two hundred and fifty rupees.

“17-A. Certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961, issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh.

Five hundred rupees.

17-B. Certificate of practice as notary under sub-section (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952, or endorsement of renewal of such Certificate under sub-section (2) of the said section ;”

(ii) Article 30 shall be omitted.

Repeal of Chapter VII of U. P. Ordinance No. XIV of 1970.

4. Chapter VII of the Uttar Pradesh Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।

पी० ए० ए० पी०—ए० पी०—293 गजट (हिन्दी)—1971—2,035+300+100 (मे०)